

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/एन-1063/2018/ 155

दिनांक : 28/12/18

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जैसलमेर। जलोर

विषय:-डॉ. निखिल शर्मा, चि0अ0 प्रोबेशन अवधि के अवकाश स्वीकृति के सम्बंध में।
संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 7842 दिनांक 02.11.18 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि डॉ. निखिल शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोदन (जालोर) की प्रोबेशन काल में पारिवारिक परिस्थितियाँ/पिताजी की बीमारी के कारण निम्नांकित अवकाश स्वीकृत करने हेतु भिजवाया गया है:-

1. दिनांक 13.08.2017, 14.08.2017 एवं 17.08.2017 तक 03 दिवस।
2. दिनांक 21.08.2017 से 25.08.2017 तक 05 दिवस।
3. दिनांक 16.09.2017 से 17.09.2017 तक 02 दिवस।
4. दिनांक 19.09.2017 से 25.09.2017 तक 07 दिवस।
5. दिनांक 13.10.2017 से 18.10.2017 तक 06 दिवस।
6. दिनांक 09.12.2017 से 15.12.2017 तक 07 दिवस।
7. दिनांक 28.12.2017 से 01.01.2018 तक 05 दिवस।
8. दिनांक 24.01.2018 से 25.01.2018 तक 02 दिवस।
9. दिनांक 03.03.2018 से 07.03.2018 तक 05 दिवस।
10. दिनांक 16.04.2018 से 17.04.2018 तक 02 दिवस।
11. दिनांक 11.06.2018 से 15.06.2018 तक 05 दिवस।
12. दिनांक 10.07.2018 से 13.07.2018 तक 04 दिवस।
13. दिनांक 21.08.2018 से 29.08.2018 तक 09 दिवस।
14. दिनांक 26.09.2018, 28.09.2018 से 05.10.2018 एवं 11.10.2018 तक 10 दिवस।

डॉ. निखिल शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोदन (जालोर) में पदस्थापित रहने के दौरान उल्लेखितानुसार राज्य सेवा से बार-बार अनुपस्थित रहें हैं जो नियमानुसार सही नहीं है। चिकित्सक राज्य सेवा से बार-बार अनुपस्थित रहने पर आप द्वारा चिकित्सक के विरुद्ध क्या कार्यवाही/नोटिस जारी किया गया है से अवगत करावें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।